भामाब/वित्त/म्ख्यालय/प्रपत्र(14)/2022

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> वित्त विभाग

विषय: वर्ष 2022-23 के लिए आय कर परिकलन के प्रयोजन के लिए विवरण

यह परिपत्र हमारे परिपत्र संख्या BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (08)/2022 दिनांक 15.07.2022 के संदर्भ

में है जिसके माध्यम से भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों/पेंशनर्स को 29 ज्लाई 2022 तक निर्धारित प्रोफार्मा

(F 48 सेवारत कर्मचारियों के लिए और F 48A पेंशनभोगी के लिए) में अपनी बचत के ब्यौरे प्रस्त्त करने का

अन्रोध दिया गया था ।

इस संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि प्रपत्र 16 को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा

देखने के लिए online कर दिया गया है | अत: यह निर्णय लिया जाता है कि जिन कर्मचारियों/ पेंशनर्स ने

अभी तक बचत का प्रमाण पत्र वित्त विभाग को जमा नहीं कराया है, उन्हें एक अवसर और दिया जा रहा है

कि वे सभी बचत के प्रमाण पत्र या तो ईमेल के माध्यम से या फिर हार्ड कॉपी के माध्यम से

15.12.2022 तक जमा करा सकते हैं, अन्यथा उन बचत विवरणों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और

आय कर की प्न: गणना की जाएगी और तदन्सार दिसंबर 2022/जनवरी/फरवरी 2023 के वेतन से

आय कर की कटौती की जायेगी।

हस्ता

(विनोद कुमार)

निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ: वित्त/2.37/आय कर/2022-23

दिनांक: 05.12.2022

इंट्रानेट के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारीगण/ कर्मचारीगण/ पेंशनर्स को सूचनार्थ एंवम

अन्पालन हेत् परिचालित

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए

BIS/FIN/HQ/Circular(14)2022

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS** (FINANCE DEPARTMENT)

SUBJECT: PARTICULARS FOR THE PURPOSE OF INCOME TAX CALCULATION

FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23

This has reference to our circular Number BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (08)/2022 dated

15.07.2022 vide which all employees/pensioners of BIS, were requested to furnish the particulars of

their savings in the prescribed Proforma (Form 48 for serving employees and Form 48A for

pensioners) by 29th July 2022.

In this regard, it is stated that the form 16 has been made live for viewing by the

employees/pensioners. It has now been decided to give the opportunity to all the employees who have not yet submitted the proof of their savings, can submit the same by 15.12.2022 either

through email or by hard copy to Finance Department, failing which the exemption of tax savings will

not be taken into account and the income tax shall be re-calculated and accordingly deducted from

the salary of December 2022/January/February 2023.

SD/-

(VINOD KUMAR) **DIRECTOR (FINANCE)** 

Our Ref: FIN/2.37/Income Tax/2022-23

दिनांक: 05.12.2022

Circulated through BIS Intranet to all Officers/Staff/Pensioners of BIS - for information and

compliance

Copy to: ITSD - for uploading on BIS Intranet